न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/163/2006/भीलवाड़ा

1– जगदीश पिता हरलाल भाट निवासी राणाजी का गुढ़ा, तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।

------ अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़।

------- रेस्पोडेन्ट

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री माघवराजसिंह, अधिवक्ता अपीलांट।
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, उप राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 15.04.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 31–10–2005 अपील सं0 161/2005 शीर्षक **''जगदीश चन्द बनाम सरकार''** के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी ने विद्वान अपर जिला कलक्टर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम राणा जी का गुढ़ा तहसील बिजोलिया के बिलानाम आराजी खसरा नं0 749 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 6–7–1989 को किया गया किन्तु आवंटन की गई भूमि आवंटन से पहले ही राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2(20)राज/8/82 दिनांक 7–12–1982 से वन विभाग को आवंटन की जा चुकी थी। उक्त भूमि पड़त होकर पथरीली व नाकाबिल काश्त होकर कृषि के काम में नहीं आ रही है। विपक्षी को आवंटन की गई भूमि आवंटन के समय में रिक्त नहीं थी। इस प्रकार यह आवंटन नियमों के अनुकूल नहीं होने से निरस्त करायी जाकर भूमि प्रार्थी वन विभाग के नाम दर्ज की जावें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

होने पर दर्ज रजिस्टर कर विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29–4–2005 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटित आराजी का आवंटन निरस्त कर दिया गया जिस निर्णय के खिलाफ अपीलांट ने विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–10–2005 से अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज कर दी गई जिस निर्णय दिनांक 31–10–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट को आवंटित प्रश्नगत आराजी वन विभाग की भूमि नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने बिला वजह जमाबन्दियों के इन्द्राजों को देखें बिना सभी अपीलों का निर्णय एक साथ करते हुए गैर कानूनी तरीके से जो भूमि अपीलांट का आवंटित हुई, वह वन विभाग की भूमि न होते हुए भी अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में कानूनी भूल की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने न तो भूमि वन विभाग की घोषित की है और न ही किसी रेकार्ड में अपीलांट की भूमि वन विभाग की दर्ज है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नोटिफिकेशन को देखें बिना ही गैर कानूनी तौर पर अपीलांट की भूमि को वन विभाग की नोटिफाईड भूमि होना मानते हुए अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया। अपीलांट की भूमि वन क्षेत्र की भूमि नहीं है न ही इसे नोटिफाईड किया गया है व न ही वन विभाग का कोई कब्जा इस प्रश्नगत आराजी पर है। प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट ने लाखों रूपये लगाकर भूमि को उपजाउ बनाया व फलदार वृक्ष लगाते हुए व सन् 1989 से करीब 16 वर्ष बाद जो प्रार्थना पत्र विपक्षी ने प्रस्तुत किया वह चलने योग्य नहीं था। दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि अपीलांट के आवंटन को 16 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं व अपीलांट को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन कानूनी तौर पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत आराजी पर न तो किसी प्रकार की नाप चौप हुई व न ही किसी प्रकार से अपीलांअ को आवंटित भूमि वन विभाग की भूमि होना साबित ही हुआ है किन्तु वन विभाग द्वारा कथित कथनों को ही बिना किसी साक्ष्य के सत्य मानते हुए अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट के आवंटन को निरस्त करने में

विधिक भूल की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल रखा जावें।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांट/आवंटियों को आवंटन 1989 में किया गया है जबकि प्रश्नगत आराजी राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 7–12–1982 से ही वन विभाग को प्रदत्त की जा चुकी है। राज्य अभिलेखों में भी प्रश्नगत आराजी वन विभाग के नाम पर अंकित नहीं होने के कारण नियम विरूद्ध अपीलांअ को आवंटन किया गया है जो भूमि राज्य सरकार के नाम पर ही नहीं है और जिसकी किस्म बिलानाम नहीं है। ऐसी स्थिति में वन विभाग की भूमि को आवंटन करने का अधिकार आवंटन कमेटी को नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से अपीलांट की अपील काबिल खारिज योग्य है।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7– विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 29–4–2005 को आदेश पारित किया गया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम गुढ़ा तहसील बिजोलिया में स्थित आराजी नं0 749 में 4 बीघा भूमि का दिनांक 06–07–1989 को जो आवंटन किया गया वो निरस्त किया जाता है तथा भूमि को राजस्व अभिलेख में बिला नाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी वादग्रस्त भूमि जो राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 07–12–1982 से प्रर्थी के पक्ष में आवंटन किया गया है। तद्नुसार नियमों के परिप्रेक्ष्य में दर्ज कराने बाबत् विधिवत् कार्यवाही अपेक्षित करावें। विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने दिनांक 31–10–2005 को निर्णय पारित कर अपीलाट्स की अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन पारित निर्णयों को यथावत रखा जाता है।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनाक 7–12–1982 से प्रश्नगत आराजी जो विपक्षी/प्रार्थी को आवंटन होने से पहले ही माह दिसम्बर 1982 में राजस्थान राजपत्र में प्रकाश्न

होकर वन विभाग को आवंटन कर दी गई थी। नियमों में अंकित प्रावधानों के अनुसार एक बार वन विभाग को भूमि आवंटन हो जाने पर केन्द्रीय सरकार से बिना पूर्व अनुमति के समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रार्थी का राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सही तौर पर स्वीकार किया था जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी सही तौर पर खारिज किया है।

11– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिनमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

12– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–04–2005 एवं विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–2005 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य